माननीय उच्च न्यायालय से मंजूरी प्राप्त करने के लिये एक याचिका प्रस्तुत की गई है तथा उपरोक्त याचिका को दिनंक 29 अगस्त, 2012 को माननीय कम्पनी न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिये निर्धारित किया है.

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त याचिका का समर्थन या आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता हो तो वह व्यक्ति याचिकाकर्ता के अभिभाषक को इस आशय की सूचना, अपना नाम व पता सहित या अपने अभिभाषक के माध्यम से सुनवाई दिनांक से 5 दिन पूर्व भिजवाये, यदि वह आपत्ति करता है तो आपत्ति करने का कारण शपथ-पत्र सहित सूचना-पत्र के साथ भिजवाये एवं यदि ऐसा व्यक्ति याचिका की प्रति प्राप्त करना चाहता हो तो याचिकाकर्ता के अभिभाषक से निश्चित देय शुल्क देकर प्राप्त कर सकता है.

इन्दौर :

दिनांक 11 जुलाई, 2012.

अक्षय सप्रे,
अभिभाषक,
तर्फे याचिकाकर्ता कम्पनी,
1856, राइट टाउन,
जबलपुर-482002 (म. प्र.).

(86-बी.)

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून, 2012

परिवाद प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों की सूची एवं कार्यक्षेत्र

क्र. 235/विधि/प्रनिबो/2012.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-49 (1) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)अधिनियम, 1981 की धारा-43 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 2 में सूचीबद्ध अधिकारियों और प्राधिकारियों को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिये सारणी के स्तम्भ 3 में उनमें से प्रत्येक के सामने उल्लेखित अधिकारिता क्षेत्र के लिये प्राधिकृत करता है:—

सारणी

क्र.	अधिकारी	अधिकारिता क्षेत्र
1.	अध्यक्ष/सदस्य सचिव	सम्पूर्ण म. प्र.
2.	अधीक्षण यंत्री/वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	संबंधित क्षेत्र
3.	प्रयोगशाला प्रभारी, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	संबंधित क्षेत्र
4.	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	संबंधित क्षेत्र
5.	कार्यपालन यंत्री/मुख्य रसायनज्ञ, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	संबंधित क्षेत्र
6.	उप क्षेत्रीय अधिकारी/इन्चार्ज ग्रोथ सेन्टर, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	संबंधित क्षेत्र
7.	सहायक यंत्री/वैज्ञानिक/समस्त द्वितीय श्रेणी अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	संबंधित क्षेत्र

मध्यम एवं वृहद् श्रेणी से संबंधित प्रतिष्ठानों के प्रकरणों में अध्यक्ष या सदस्य सचिव से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा तथा लघु श्रेणी से संबंधित प्रतिष्ठानों के प्रकरणों में क्षेत्रीय अधिकारियों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा.

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से तथा आदेशानुसार,

(79-बी.)